रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032025-261875
CG-DL-E-22032025-261875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1345]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946
No. 1345]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2025

विषय: 26 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस. ओ. 1929(ई) के माध्यम से सीआरओ की अनुसूची में शामिल उत्पाद श्रेणियों के आदेश के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा में विस्तार |

का.आ. 1363(अ).—जबकि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित एस. ओ. संख्या 1929(ई) के जरिए "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2021" की अनुसूची के क्रम संख्या 64 पर "टेलीविज़न सेट्स" को आई० एस० 18112:2022 के अनुपालन हेतु जोड़ा था। इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि 26 अप्रैल, 2025 थी। और, जबकि, आदेश के सुचारू कार्यान्वयन के लिए इसमें पेश आ रही समस्याओं पर हितधारकों के साथ चर्चा की गई है और जबकि, उद्योग ने आदेश के अनुपालन के लिए अधिक समय मांगा है, एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि आदेश के कार्यान्वयन की तिथि 26 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

[फा. सं. डब्ल्यू-47/7/2023-आईपीएचडब्ल्यू]

आशा नांगिया, समूह समन्वयक तथा वैज्ञानिक 'जी'

नोट: प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 मार्च, 2021 के एस. ओ. संख्या 1248(ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में इसे दिनांक 25 मार्च, 2021 के एस. ओ. संख्या 1353 (ई), दिनांक 01 जुलाई 2021 के एस. ओ. संख्या 2844(ई), दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के एस. ओ. संख्या 1929(ई), दिनांक 9 अप्रैल, 2024 के एस. ओ. संख्या 1652(ई) और दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 के का.आ. संख्या 4378(ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2025

Subject: Extension in timelines for the implementation of the Order for product categories included in the schedule of CRO vide S.O. 1929(E) published in Gazette of India on 26th April, 2023

S.O. 1363(E).—Whereas in exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, (11 of 2016), the Central Government, vide S.O. no 1929 (E) published in Gazette of India on 26th April, 2023, had added “Television Sets” at Sl. No 64 of the Schedule of the “Electronics and Information Technology Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2021” for compliance to IS 18112: 2022. The date of coming into effect of this Order was 26th April, 2025. And, Whereas, the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of the Order and whereas, the industry has sought more time for compliance of the Order, it is hereby notified that the date of implementation of the Order stands extended to 26th, October, 2025.

[F. No. W-47/7/2023-IPHW]

ASHA NANGIA, GC & Scientist ‘G’

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O. number 1248(E), dated the 18th March, 2021 and subsequently amended vide S.O. No 1353(E) dated 25th March, 2021, S.O. 2844(E) dated 01st July 2021, S.O. No 1929(E) dated 26th April, 2023, 1652(E) dated 9th April, 2024, S.O. No and S.O. no 4378(E) dated 9th October, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA